सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन
COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES
विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस संख्या: 2326 / 1014 / 2014 दिनांक:— 01.06.2016

के मामले में:

श्री जयवीर सिंह,
पुत्र श्री रामपतराम जाट,
निवासी – ग्राम हुणतपुरा,
तहसील – भादरा,
जिला – हनुमानगढ़
राजस्थान – 335502 ..... शिकायतकर्ता

बनाम

अध्यक्ष,
रेलवे भर्ती सैल,
लाजपत नगर – I,
नई दिल्ली – 110024 ..... प्रतिवादी

सुनवाई की तारीख: 24.05.2016

उपस्थित:
1. श्री जयवीर सिंह, शिकायतकर्ता एवं उनके साथ श्री राकेश कुमार।
2. श्री एस. एस. राणा, एपीओ / आरआरसी, प्रतिवादी की ओर से ।

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता, जोकि श्रवणबाधित व्यक्ति है, ने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है, के तहत उनको उत्तर रेलवे में ग्रुप 'डी' में भर्ती से संबंधित दिनांक रहित शिकायत इस न्यायालय में प्रस्तुत की जोकि इस न्यायालय में दिनांक 28.01.2015 को प्राप्त हुई ।

2. शिकायतकर्ता का कहना है कि उत्तर रेलवे द्वारा आयोजित ग्रुप 'डी की भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्हें दिनांक 19.05.2014 को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया । उसके बाद प्रार्थी को मेडिकल के लिए रसीद दे दी गई और मेडिकल के लिए अम्बाला भेज दिया गया । शिकायतकर्ता के अनुसार उनका मेडिकल नहीं बताया गया लेकिन शिकायतकर्ता के पास 40 प्रतिशत से अधिक श्रवणबाधिता का विकलांगता प्रमाणपत्र होने के कारण डाक्टर ने प्रार्थी को विकलांग नहीं माना है ।

.......2 / –

सरोजिनी हाउस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली—110001; दूरभाष: 23386054, 23386154; टेलीफैक्स : 23386006
Sarojini House, 6, Bhagwan Dass Road, New Delhi-110001 ; Tel.: 23386054, 23386154 ; Telefax : 23386006
E-mail: ccpd@nic.in ; Website: www.ccdisabilities.nic.in
(कृपया भविष्य में पत्राचार के लिए उपरोक्त फाईल / केस संख्या अवश्य लिखें)
(Please quote the above file/case number in future correspondence)

3. मामला प्रतिवादी के साथ इस न्यायालय के पत्र दिनांक 28.04.2015 के द्वारा उठाया गया । इसके पश्चात् दिनांक 07.08.2015, 22.09.2015 और 08.10.2015 को स्मरण–पत्र भी जारी किया गया ।

4. प्रतिवादी ने अपने पत्र कमांक 220–ई/ओपन मार्केट/आरआरसी/2014/सीसीपीडब्ल्यूडी/एचआरसी दिनांक 05.10.2015 द्वारा सूचित किया कि एमजीएन सरकारी अस्पताल, हनुमानगढ़ द्वारा जारी किए गए विकलांगता प्रमाणपत्र सं. 315 के अनुसार उनकी विकलांगता की प्रतिशतता 40 प्रतिशत है किन्तु वे आंशिक रूप से बधिर व्यक्ति हैं । अतः वे श्रवणबाधित की परिभाषा के अन्तर्गत नही आते हैं ।

5. प्रतिवादी से प्राप्त उत्तर दिनांक 05.10.2015 की प्रति शिकायतकर्ता को इस न्यायालय के पत्र दिनांक 30.10.2015 द्वारा उनके टिप्पण/रिज्वाइंडर हेतु भेजी गई थी ।

6. शिकायतकर्ता ने अपने टिप्पण/रिज्वाइंडर दिनांक 16.11.2015 द्वारा सूचित किया कि उनके पास दिनांक 22.05.2015 का बना हुआ नया विकलांगता प्रमाणपत्र है, जिसमें 50 प्रतिशत बधिरता के साथ स्थायी श्रवणबाधिता दिखाई गई है । यदि इन तथ्यों में कोई संदेह हो तो वे उनकी जांच अपनी देखरेख में दिल्ली के किसी अस्पताल में करा सकते हैं ।

7. शिकायतकर्ता से प्राप्त टिप्पण/रिज्वाइंडर दिनांक 16.11.2015 को इस न्यायालय के पत्र दिनांक 14.12.2015 द्वारा प्रतिवादी को उनके टिप्पण हेतु भेजे गए थे । इसके पश्चात् दिनांक 20.01.2016 को एक स्मरण–पत्र भी भेजा गया था लेकिन प्रतिवादी की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ । अतः मामला दिनांक 24.05.2016 को सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया ।

8 दिनांक 24.05.2016 को सुनवाई के दिन शिकायतकर्ता ने अपने लिखित कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग होने के बावजूद भी डाक्टर ने मेडिकल परीक्षा मे विकलांग न मानते हुए उन्हें अनफिट कर दिया है । इसके

.....3/–

पश्चात् उन्होंने 50 प्रतिशत विकलांगता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया, जिसमे बधिरता के साथ स्थायी श्रवणबाधिता दिखाई गई है और सर्टिफिकेट में यह भी लिखा कि श्रवणबाधिता बढ़ती जा रही है । पिछले सर्टिफिकेट में 40 प्रतिशत से अधिक श्रवणबाधिता दिखाई गई थी । रेलवे द्वारा जो रिक्तियों का विज्ञापन दिया गया था, विकलांगता प्रमाणपत्र उससे पहले का बना हुआ था, जिसे रेलवे ने नहीं माना ।

9. प्रतिवादी के प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि शिकायतकर्ता को मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, अम्बाला मंडल द्वारा आंशिक रूप से श्रवणबाधित होने के कारण अनफिट घोषित कर दिया गया था । चूंकि शिकायतकर्ता ने आंशिक रूप से श्रवणबाधित होने का विकलांगता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था, इस न्यायालय द्वारा निर्देश प्राप्त होने पर, इसलिए मामला पुनः संबंधित चिकित्सा प्राधिकारी को संदर्भित किया गया था । पुनः मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, अम्बाला मंडल अपने पत्र दिनांक 11.09.2015 द्वारा सूचित किया कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत विकलांगता प्रमाणपत्र सं. 315 जोकि एमजीएन सरकारी अस्पताल, हनुमानगढ़ द्वारा जारी किया गया है, में यह सुझाया गया है कि विकलांगता की प्रतिशतता 40 से अधिक है किन्तु वह आंशिक रूप से बधिर है । इसलिए वह श्रवणबाधिता की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आता है । रेलवे में भर्ती नियमों के अनुसार प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी को रेलवे चिकित्सा प्राधिकारी से मेडिकल फिटनैस सर्टिफिकेट प्राप्त करना होता है और यदि वह भारतीय रेल चिकत्सिा मैनुअल के उपबंधों के अनुसार मेडिकल परीक्षा में फिट घोषित किया जाता है तो रेलवे भर्ती सैल अभ्यर्थी को अनन्तिम रूप से सूची में सम्मिलित करता है । यहां तक कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ों के सत्यापन के दौरान तीन रेलवे अधिकारियों की एक समिति द्वारा द्वारा यह अवलोकन किया गया कि वर्ष 2011 में जारी किया गया श्रवणबाधिता का विकलांगता प्रमाणपत्र जो शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया था, वह विहित फार्मा पर नहीं है क्योंकि वह तीन डाक्टरों द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है जैसा कि अधिनियम द्वारा अपेक्षित है । यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि शिकायतकर्ता ने अपने पत्र के साथ एक नया विकलांगता प्रमाणपत्र दिनांक 22.05.2015 प्रस्तुत किया था जोकि उनके कार्यालय में इस न्यायालय के पत्र

.....4 / –

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन
COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES
विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

दिनांक 14.12.2015 द्वारा प्राप्त हुआ था और उसे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, अम्बाला को दिनांक 12.02.2016 को भेजा गया था । चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा उस पर लिए गए विनिश्चय का उनके द्वारा यथासमय अनुपालन करना होता है । उपरोक्त कथन उनके कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर है ।

10. मामले में दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् तथा अभिलेख पर उपलब्ध प्रतिवादी द्वारा दिए गए दिनांक 05.10.2015 के उत्तर का अवलोकन करने पर इस न्यायालय द्वारा यह देखा गया है कि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, अम्बाला ने शिकायतकर्ता के विकलांगता प्रमाणपत्र संख्या आरजे/2010/ एचएमएच/9997/38 दिनांक 11.01.2011 जोकि एकल डाक्टर द्वारा फार्म–4 में जारी किया गया था, पर विचार न करते हुए उनके विकलांगता प्रमाणपत्र संख्या 315, जोकि शिकायतकर्ता को दिनांक 26.05.2014 को चिकित्सा प्राधिकारी, एमजीएन सरकारी अस्पताल, हनुमानगढ़ द्वारा जारी किया गया था, पर विचार किया तथा यह माना कि श्री जयवीर सिंह, शिकायतकर्ता द्वारा एमजीएन सरकारी अस्पताल, हनुमानगढ़ द्वारा जारी किए गए विकलांगता प्रमाणपत्र संख्या 315 में यह सुझाया गया है कि विकलांगता की प्रतिशतता 40% है। किन्तु वह आंशिक रूप से बधिर है । वह श्रवणबाधिता की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आता है ।

11. निःशक्त व्यक्ति अधिनियम की धारा 2(न) के अनुसार "निःशक्त व्यक्ति" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किसी निःशक्तता के कम से कम चालीस प्रतिशत से ग्रस्त है ।

12. *कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 29.12.2005 के पैरा 23* के अनुसार मूल नियमावली के नियम 10 के अनुसार, सरकारी सेवा में प्रवेश करने वाले प्रत्येक नए व्यक्ति को अपनी प्रारंभिक नियुक्ति के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है । निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति की एक विशिष्ट प्रकार की निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति द्वारा धारित किए जाने हेतु

.........5/–

सरोजिनी हाउस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली–110001; दूरभाषः 23386054, 23386154; टेलीफैक्स : 23386006
Sarojini House, 6, Bhagwan Dass Road, New Delhi-110001 ; Tel.: 23386054, 23386154 ; Telefax : 23386006
E-mail: ccpd@nic.in ; Website: www.ccdisabilities.nic.in
(कृपया भविष्य में पत्राचार के लिए उपरोक्त फाईल/केस संख्या अवश्य लिखें)
(Please quote the above file/case number in future correspondence)

उपयुक्त समझे गए पद पर नियुक्ति हेतु स्वास्थ्य परीक्षण के मामले में संबंधित चिकित्सा अधिकारी अथवा बोर्ड को इस संबंध में यह पूर्व सूचित किया जाएगा कि यह पद, संगत श्रेणी की निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति द्वारा धारित किए जाने के लिए उपयुक्त पाया गया है और तब उम्मीदवार का स्वास्थ्य परीक्षण इस तथ्य को ध्यान में रखकर किया जाएगा ।

13. उपरोक्त के संदर्भ में मामले का निपटारा प्रतिवादी को इस निर्देश के साथ किया जाता है कि वे शिकायतकर्ता की मौजूदा नियमों के अधीन पुनः चिकित्सा परीक्षा करें और यदि वह अन्यथा पात्र पाया जाता है तो प्रश्नगत पद पर उसकी नियुक्ति करें ।

14. मामले की अनुपालन रिपोर्ट इस आदेश की प्राप्ति के 45 दिनों के अन्दर इस न्यायालय को भेजें ।

(कमलेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य आयुक्त, निःशक्तजन